# कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला–कोरिया, छ0ग0

(E-mail: actd.koriya@nic.in, Ph./Fax No. 07836-232859)

क्र0 / 1197 / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 2024–25 बैकुण्ठपुर, दिनांक– 10 / 09 / 2024

प्रति,

उपसंचालक,
जनसंपर्क जिला–कोरिया छ0ग0

विषयः– **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2024–25 की ऑनलाईन पंजीयन/स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करने बावत्।**

संदर्भः– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 183 / 2024–25 / 5881 नवा रायपुर, दिनांक–10.09.2024

––00––

उपरोक्ता विषयान्तर्गत लेख है, कि जिले में अध्ययनरत् (छ0ग0 के निवासी) जो शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डाईट, आई.टी.आई, नर्सिंग कालेज एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यो / संस्था प्रमुखो को वर्ष 2024–25 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन / स्वीकृति की प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सके।

कृपया जिला स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

**संलग्नः– विज्ञप्ति।**

**सहायक आयुक्त**
**आदिवासी विकास कोरिया**

पृ0 क्र0 / 1198 / ऑ0ला0पो0मै0छा0 / 2024–25 / बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 / 09 / 2024

**प्रतिलिपिः–**

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला–कोरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
3. समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, डाईट, आई.टी.आई, नर्सिंग कालेज एवं पॉलिटेक्निक के संस्था प्रमुख / छात्रवृत्ति प्रभारी को समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

**सहायक आयुक्त**
**आदिवासी विकास कोरिया**

# कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला–कोरिया, छ0ग0

(E-mail: actd.koriya@nic.in, Ph./Fax No. 07836-232859)


क्र0 / 1197 / आ.ला.पो.म.छा. / 2024–25 बैकुण्ठपुर, दिनांक– 10/09/2024

:: सूचना प्रकाशन ::

**वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना**

जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डाईट, आई.टी.आई, नर्सिंग कालेज एवं पॉलिटेक्निक आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2024–25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatri-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाईट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024–25 हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है–

| क0 | प्रकिया | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1. | विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइंन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण) | दिनांक 09.09..2024 से 30.10.2024 तक |
| 2. | Draft Proposal Lock करने हेतु | दिनांक 16.09.2024 से 14.11.2024 तक |
| 3. | Sanction Order Lock करने हेतु | दिनांक 16.09.2024 से 21.11.2024 तक |

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेंगा एवं **Draft Proposal** Lock अथवा **Sanction Order Lock** करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंग।

नोटः–

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैक खाता नम्बर की प्रविष्टि** ही करना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2024–25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रुप से **OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन** आवेदन करते समय की जानी है। **OTR की प्रविष्टि** के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावेंगी।
3. वर्ष 2024–25 से संस्थाओं को प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार **Geo-Tagging** किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा **Geo-Tagging** नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेंगी।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरिया